

आपराधिक न्याय प्रणाली

प्रलिस के लिये:

ड्राफ्ट रूल ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय दंड संहिता ।

मेन्स के लिये:

आपराधिक न्याय प्रणाली, वचाराधीन कैदी, अखलि भारतीय न्यायिक सेवा ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों की आपराधिक कार्यवाही प्रणाली में कमियों और अक्षमता में सुधार के लिये दशा-नरिदेशों के एक सेट को लागू करने हेतु दो महीने का समय दिया है ।

- नए दशा-नरिदेशों को ड्राफ्ट रूल ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020 (Draft Rules of Criminal Practice, 2020) के रूप में संदर्भित किया जाता है ।
- ड्राफ्ट रूल में जाँच और परीक्षण में सुधार की सफारिश की गई है जिसमें जाँच के दौरान व मुकदमे के लिये पुलिस की मदद करने हेतु वकीलों की अलग टीमों को नियुक्त करने का प्रस्ताव शामिल है; स्पोर्ट पंचनामा का मसौदा तैयार करते समय तथा यहाँ तक कि बॉडी स्केच में सुधार करते समय वविरण को शामिल किया जाना चाहिये ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली:

- आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर नरिणय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत हैं ।
- उद्देश्य :
 - आपराधिक घटनाओं को रोकना ।
 - अपराधियों और दोषियों को दंडित करना ।
 - अपराधियों और दोषियों का पुनर्वास ।
 - पीड़ितों को यथासंभव मुआवज़ दलाना ।
 - समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना ।
 - अपराधियों को भवषिय में कोई भी आपराधिक कृत्य करने से रोकना

सुधारों की आवश्यकता:

- **औपनविशकि वरिसत:** आपराधिक न्याय प्रणाली- मूल और प्रक्रियात्मक दोनों बरिटिश औपनविशकि न्यायशास्त्र की प्रतकृति हैं, जनिहें भारत पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था ।
 - इसलिये 19वीं सदी के इन कानूनों की प्रासंगिकता 21वीं सदी में बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है ।
- **अप्रभावी न्याय वविरण:** आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य नरिदोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, लेकिन आजकल यह व्यवस्था **आम लोगों के उत्पीड़न का एक साधन** बन गई है ।
- **लंबति मामले:** **आर्थिक सर्वेक्षण** 2018-19 के अनुसार, न्यायिक प्रणाली, वशिष रूप से ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबति हैं, जो **'न्याय में देरी न्याय से वंचति करने के समान हैं'**, की कहावत को चरतिार्थ करता है ।
- **वचाराधीन कैदी:** भारत दुनिया के सबसे अधिक वचाराधीन कैदियों वाले देशों में से एक है ।
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)- जेल सांख्यिकी भारत** के अनुसार, हमारी जेलों में बंद कुल कैदियों में से 67.2% **वचाराधीन कैदी** हैं ।
- **पुलिस का मुद्दा:** पुलिस आपराधिक **न्याय प्रणाली** की अग्रिम पंक्ति है, जिसने न्याय प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है । न्याय के त्वरति

और पारदर्शी वतिरण में भरषटाचार, वर्कलोड और पुलसि की जवाबदेही एक बड़ी बाधा है।

सरकार द्वारा की गई संबंधति पहल:

- न्याय वतिरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मशिन
- एआई-आधारति पोर्टल: SUPACE
- पुलसि प्रणाली का आधुनकीकरण

आगे की राह

- पीड़ति और गवाह संरक्षण: पीड़ति और गवाह संरक्षण योजनाओं को शुरू करने, पीड़ति के बयानों का उपयोग, आपराधकि मुकदमे में पीड़तियों की भागीदारी में वृद्धि, पीड़तियों के लिये मुआवज़ा और उनकी बहाली की आवश्यकता है।
- आपराधकि संहतिओं में संशोधन: दंड की मात्रा (Degree) नरिदष्टि करने के लिये आपराधकि दायतिव को बेहतर ढंग से वर्गीकृत कया जाना चाहयि।
 - नए प्रकार के दंड जैसे- सामुदायकि सेवा आदेश, बहाली आदेश, तथा पुनरस्थापना और सुधारात्मक न्याय के अन्य पहलुओं को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है।
 - साथ ही भारतीय दंड संहति के कई अध्याय अनेक जगहों पर अतभारति (Overloaded) हैं।
 - उदाहरण के लिए लोक सेवकों के खिलाफ अपराध, अधिकार की अवमानना, सार्वजनकि शांति और अतचार जैसे अध्यायों को फरि से परभाषति और संकृचति कया जा सकता है।
- न्यायकि सेवा की शक्ति: समाधानों के तहत अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की नयुक्ति करके न्यायकि सेवाओं की शक्ति में वृद्धि करना है, इसके लिये सबसे नीचे से सुधार शुरू होना चाहयि।
 - अधीनस्थ न्यायपालकि को सुदृढ़ करने हेतु उसे प्रशासनकि और तकनीकी सहायता के साथ पदोन्नति, वकिस व प्रशकिषण के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
 - अखलि भारतीय न्यायकि सेवा को संस्थापति करना उचति दशिा में कदम हो सकता है।
- वैकल्पकि वविद समाधान: यह अनविरय कया जाना चाहयि कसिभी वाणजियकि मुकदमों पर तभी वचिर कया जाएगा जब याचकिकर्त्ता की ओर से हलफनामें में यह स्वीकार कया गया हो कि मध्यस्थता और सुलह का प्रयास कया गया और यह प्रयास बफिल हो गया।
 - ADR (वैकल्पकि वविद समाधान), लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों जैसे तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग कया जाना चाहयि।

स्रोत: द हदि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/criminal-justice-system-2>